न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान किशोरसिंह आदि बनाम इन्द्रसिंह आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0 1955

प्रार्थना पत्र सं. 08/2025

निर्णय दिनांक 11/06/2025

1. किशोरसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।
2. जसुसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील मानीपुरा, जिला चूरू।
3. लालसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील मानीपुरा, जिला चूरू।
4. मगेजकवर पत्नि समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।
5. विमला कंवर पत्नि जसुसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रसिंह पुत्र पहपसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।
2. सायरकंवर पत्नि पहपसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।
3. मांगुसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।
4. सुनिता कंवर पत्नि बीरबलसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक महोदय भानीपुरा, जिला चूरू ।

—अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. श्री दिलीप सिंह पंवार एडवोकेट-प्रार्थीगण
2. श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं0 5

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्यगण है एवं स्वर्गीय मेघसिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र रावतसिंह राजपूत निवासी लूणासर तहसील भानीपुरा के वंशज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 366 तादादी 23.7900 हैक्टेयर बारानी द्वित्तीय व खसरा नं. 380 तादादी 4,3800 हैक्टेयर बारानी द्वित्तीय कुल किता दो कुल तादादी 28.1700 हैक्टेयर रोही मौजा लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू में स्थित है, जिसमें प्रार्थी किशोरसिंह का 1/12 हिस्सा, जसुसिंह का 1963/26724 हिस्सा, लालसिंह का 1/12 हिस्सा, मंगेजकंवर का 1/12 हिस्सा तथा विमला कवर का 22/2227 हिस्सा भूमि हिस्से–पांती की स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार व कब्जा काश्तकार है। जो प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रार्थिया संख्या 4 के पति समन्दरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जरीये विरासतन रूप से दर्ज एवं तस्दीक हुई है तथा प्रार्थिया संख्या 5 विमला कंवर द्वारा अपना हिस्सा जरीये पंजीबद्ध बैनामा कय किया गया है। प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थी इन्द्रसिंह का 1/9 हिस्सा, सायरकवर का 1/9 हिस्सा, मांगुसिंह पुत्र मेघसिंह का 1/3 हिस्सा तथा सुनिता कंवर का 1/9 हिस्सा भूमि हिस्से पांती की स्थित है। जिसमें अप्रार्थी इन्द्रसिंह व सायरकंवर तथा मांगुसिंह के जरीये विरासतन एवं अप्रार्थीनी सुनिता कंवर के जरीये पंजीबद्ध बैनामा हिस्सा भूमि दर्ज एवं तस्दीक हुई है। सभी अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वागदत भूमि रोही ग्राम लूणासर तहसील भानीपुरा जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 आपस में भाई है तथा प्रार्थीनी संख्या 4 प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की माता है, जबकि प्रार्थीनी संख्या 5 प्रार्थी संख्या 2 की पत्नि है। प्रार्थीगण ने आपस में इन्हीं रिश्तों के कारण अपनी भूमि को सम्मिलित कर रखा है। वर्तमान में प्रार्थीगण वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपने हिस्से के मुताबिक काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण इसी कब्जे व काश्त के अनुसार अपने नाम से अलग खाता घोषित करवाने के अधिकारी है। वादगत शेष भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 सभी काश्त पेशा व्यक्ति है। वादगत कृषि भूमि अविभाजित कृषि भूमि है जो सभी सह खातेदारो द्वारा शामलाती में काश्त की जा रही है एवं मौके पर भी किसी प्रकार से विभाजित नहीं है व ना ही वादगत भूमि का वाहमी बटवारा किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है। प्रार्थीगण का बडा संयुक्त परिवार है एवं वादगत कृषि भूमि संयुक्त रूप से काश्त की जा रही है ऐसी स्थिति में भूमि की अच्छी / खराब किश्म, लूंग. पाला आदि को लेकर आए दिन झगडे फसाद होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादगत संयुक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉड (By Meets & Bound) खाता विभाजन करवाया जाकर अलग खाता कायम जाये। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखुबी साबित है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से मौके पर जमीन की किश्म के अनुसार आपस में बैठ कर विभाजन करने को कहा व कहलवाया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थीगण को कहा हम तुम्हें इस जमीन से जबरन बेदखल करेगें व अच्छी–अच्छी जमीनों को हम रखेंगें, तुम्हे एक बिश्वा जमीन भी नही देगे, तुम्हारी कब्जे की वादगत जमीन को हम खुर्द बुर्द कर देगें एवं तुम्हे बेदखल कर देगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं है एवं प्रार्थीगण को वादगत भूमि का सहखातेदार होने से खाता विभाजन कराये जाने का पूर्ण हक अधिकार हासिल है। प्रार्थीगण अपनी नेक चलनी पर चलने वाले गरीब व्यक्ति है जो धन बल व बाहुबल से अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है। ऐसी स्थित में यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को कभी ना पूरी होने वाली क्षति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति तथा सुविधा का सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 366 तादादी 23.7900 हैक्टेयर बारानी द्वित्तीय व खसरा नं. 380 तादादी 4,3800 हैक्टेयर बारानी द्वित्तीय कुल किता दो कुल तादादी 28.1700 हैक्टेयर रोही मौजा लूणासर तहसील भानीपुरा, जिला चूरू मे जरिये डिकी अस्थाई व्यादेश अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे कि वे उपरोक्त वादगत कृषि भूमि से प्रार्थीगण के उसके हिस्सा भूमि में प्रवेश ना करे, व न उसे बेदखल करे, ना ही कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा डाले, विक्रय, हस्तान्तरण एवं नामान्तरण ना करे व ना ही ऐसा कोई फेल व तर्क फेल करे जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर विपरीत असर पड़े।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने का आदेश पारित किया गया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कालीचरण ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश किया– प्रार्थना–पत्र की मद सं. 1 में राजस्व रैकॉर्ड की हद तक एवं प्रार्थीगण का अपने हिस्से की हद तक

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

मौके पर कब्जा–काश्त होना स्वीकार किया है शेष तथ्य झूठ लिखे होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण ने इस मद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का एक ही परिवार के सदस्य होना एवं मेघसिंह उर्फ भंवरसिंह निवासी ग्राम लूणासर के वंशज होना अंकित किया है जबकि अप्रार्थी सं. 4 सुनिता कंवर पत्नी बीरबलसिंह निवासी ग्राम लूणासर की मूल निवासीनी है जो स्वर्गीय मेघसिंह की वंशज नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 2 मुताबिक राजस्व रैकॉर्ड एवं मौका कब्जा–काश्त सही लिखी होने से स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 3 जिस प्रकार से लिखी गई है; झूठ व निराधार लिखी होने से अस्वीकार हैं क्योंकि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र की मद सं. 1 में सभी का अलग–अलग राजस्व हिस्सा दर्शाते हुए अलग कब्जा काश्त होना बताया है एवं मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त है जबकि प्रार्थना–पत्र की मद सं. 3 में प्रार्थीगण ने आपसी रिश्तों के कारण भूमि सम्मिलित होना अंकित किया है जो अपने ही विरोधाभासी कथन हैं। प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रैकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है मगर मौके पर राजस्व रैकॉर्ड में अभिलिखित हिस्सा अनुसार सभी का अपना अलग–अलग कब्जा काश्त है जो हिस्सा पांती व कब्जा काश्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से पिछले 40–50 वर्षों से अलग–अलग स्वतन्त्र रूप से चला आ रहा है जबकि प्रार्थीगण ने इस मद में वाहमी बंटवारा नहीं होना अंकित किया है जो झूठ व निराधार अंकित किया है क्योंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि का मौके पर वाहमी बंटवारा अपने पूर्वजों के समय से पिछले 40–50 वर्षों पूर्व से कर रखा है और उसी मुताबिक वर्तमान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त चला आ रहा है; जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने अपने–अपने हिस्सा में सिंचाई ट्यूबवैल व रिहायशी ढ़ाणी के रूप में पक्के मकान बना रखे हैं; प्रार्थीगण अप्रार्थीगण पर नाजायज दवाब बनाकर अप्रार्थीगण की पीढ़ियों से चली आ रही कब्जा काश्त की कृषि भूमि को हड़प करना चाहते हैं; जिसका प्रार्थीगण को कोई हक–अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रमाण–स्वरूप फोटो प्रति ट्यूब वैल विद्युत बिल सादर प्रस्तुत है।

प्रार्थना–पत्र की मद सं. 4 जिस प्रकार से लिखी गई है; झूठ व निराधार लिखी होने से अस्वीकार है क्योंकि वादगत कृषि भूमि केवल मात्र राजस्व रैकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में है; जबकि मौके पर संयुक्त रूप से काश्त नहीं की जा रही है; मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी का अलग–अलग कब्जा काश्त है; जिसमें सभी ने अपने हिस्सा में सिंचाई ट्यूब वैल बना रखा है तथा अपनी–अपनी रिहायशी ढ़ाणियों के रूप में मकान बना रखे हैं और अपना–अपना हिस्सा अलग–अलग काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के साथ कभी भी लूंगी–पाला व अच्छे खराब पासे को लेकर अप्रार्थीगण ने कोई विवाद नहीं किया क्योंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर पिछले 40–50 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से अलग कब्जा–काश्त है; जिस पर पट्टियां रोपकर तार लगाकर अपना–अपना हिस्सा कवर कर रखा है और चारों ओर बडी–बडी सींवे कायम हो रखी हैं; इसलिए अच्छे–खराब पासे एवं लूंगी पाला के लिए किसी प्रकार का कोई विवाद होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके की कब्जा काश्त (By meets & bounds) के आधार पर किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से सम्पर्क करते तो अप्रार्थीगण सहमति से उक्त खाता विभाजन करवाने को हर समय तैयार थे। प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की नौबत ही नहीं आती। प्रार्थीगण ने दावा व प्रार्थना–पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना–पत्र की मद सं. 5 जिस प्रकार से लिखी गई है; झूठ व निराधार लिखी होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कभी भी मौका की कब्जा काश्त के अनुसार उक्त कृषि भूमि का विभाजन आपसी सहमति से करवाने को नहीं कहा; समस्त तथ्य संलग्न दावा व इस प्रार्थना–पत्र की प्रस्तुति का आधार बनान के लिए झूठ अंकित किए हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य अच्छे व खराब पासे को लेकर मौके पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने अपने–अपने हिस्सा अनुसार सिंचाई ट्यूबवैल बना रखी है तथा साथ ही अपनी रिहायशी ढ़ाणियां/मकानात बना रखे हैं जो कब्जा–काश्त सभी का पिछले 40–50 वर्षों से यानि अपने पूर्वजों के समय से पीढ़ी दर पीढी अलग–अलग चला आ रहा है। इसलिए उक्त भूमि में हिस्सा–पांती को लेकर विवाद होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण की हिस्सा–पांती में अप्रार्थीगण ने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की है; जहाँ तक प्रार्थीगण को खाता विभाजन करवाने का अधिकार होने का प्रश्न है तो यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण अपने मौके की कब्जा–काश्त के आधार पर अपना खाता विभाजन करवाना चाहते हैं तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण बिना किसी विवाद के विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कृषि भूमि के सम्बन्ध में डेक्री चिरस्थाई से कानूनन पाबन्द नहीं करवा सकते हैं क्योंकि विधि के दृष्टिकोण में वाद का प्रथम दृष्टया अधिकार वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर अलग–अलग कब्जा काश्त है; जिसमें अप्रार्थीगण ने भी अपने–अपने हिस्सा–पांती में ट्यूबवैल व रिहायशी ढ़ाणी बना रखी है। इसलिए प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण द्वारा लडाई–झगडा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण ने मौके की कब्जा काश्त के आधार पर खाता विभाजन करवाने के लिए प्रार्थीगण को कभी इंकार नहीं किया। सम्पूर्ण तथ्य काल्पनिक व दावा को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से झूठ अंकित किए हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की इंकार झूठ व काल्पनिक दर्शाई है। प्रार्थीगण के काल्पनिक व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने से प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण को काफी मानसिक, आर्थिक असुविधा हुई है; इसलिए सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थीगण राजनैतिक पंहुच वाले व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण की पिछले 40–50 वर्षों पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी काश्त की जा रही खातेदारी कृषि भूमि को ताकत के बल पर हडपना चाहते हैं; जिसका प्रार्थीगण को कोई हक–अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अगर अप्रार्थीगण की कब्जा–काश्त की कृषि भूमि को जबरदस्ती हडप कर लेते हैं तो प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 को ज्यादा नुकसान कारित होगा; इसलिए प्रथम दृष्टया मामला के साथ–साथ अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के अधिवक्ता ने विशेष कथन में अंकित किया कि प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण सं. 1 इंद्रसिंह के सगे भाई किशनसिंह पुत्र पहपसिंह के नाम दावा में वर्णित कृषि भूमि में 1/9 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का स्थित था; किशनसिंह की आर्थिक स्थिति काफी खराब होने के कारण किशनसिंह ने अपना 1/9 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 4 सुनिता कंवर पत्नी बीरबलसिंह राजपूत निवासी ग्राम : सोनपालसर को विक्रय कर दिया; जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से नाराज हो गए। प्रार्थीगण स्वयं किशनसिंह का 1/9 हिस्सा ओने–पोने दामों में खरीद करना चाहते थे; किशनसिंह को ज्यादा पैसे मिलने के कारण किशनसिंह ने प्रार्थीगण को भूमि विक्रय नहीं कर अप्रार्थीगण सं. 4 को विक्रय कर दी और अप्रार्थी सं. 4 के नाम से राजस्व रैकॉर्ड में अंकित हो गई; जिसके बाद प्रतिप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की नाराजगी बढ़ गई और इसी नाराजगी के चलते प्रार्थीगण ने प्रतिप्रार्थीगण को अनावश्यक परेशान करने के उद्देश्य से उक्त दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर मौके पर बिना किसी वाद विवाद के प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

दिया ताकि प्रतिप्रार्थीगण को अनावश्यक परेशान किया जा सके। इसलिए प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है; इसलिए प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नं. 366 तादादी 23.7900 हैक्टेयर व खसरा नं. 380 तादादी 4.3800 हैक्टेयर रोही ग्राम लूणासर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का मौके पर वर्तमान में (By meets & Bounds) के आधार पर कब्जा–काश्त निम्न प्रकार से है। मुताबिक मौका खसरा नं. 366 तादादी 23.7900 हैक्टेयर में उत्तरी दिशा में 10 बीघा भूमि यानि 2.5290 हैक्टेयर पर प्रार्थी सं. 1 किशोरसिंह का कब्जा–काश्त है एवं किशोर सिंह के चिपते हुए दक्षिणी दिशा में 10 बीघा भूमि यानि 2.5290 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण सं. 2 व 5 का कब्जा–काश्त है तथा प्रार्थीगण सं. 2 व 5 के आगे दक्षिणी दिशा में चिपते हुए 37 बीघा भूमि यानि 9.3573 हैक्टेयर पर अप्रार्थी सं. 3 का कब्जा काश्त है एवं उक्त खसरा के दक्षिणी हिस्सा 37 बीघा यानि 9.3573 हैक्टेयर पर अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इसी प्रकार खसरा नं. 380 तादादी 4.3800 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर प्रार्थीगण सं. 3 व 4 का कब्जा काश्त है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण ने अपने–अपने हिस्सों में सिंचाई ट्यूबवैल बना रखी है एवं अपने रिहायशी ढ़ाणी व मकान बना रखे हैं जो जवाब दावा के साथ नजरी नक्शा एनेक्श्चर "क" के अनुसार मौके पर वर्तमान में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी अनुसार प्रार्थीगण का खाता विभाजन किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रैकॉर्ड में संयुक्त खातेदार हैं और मुताबिक राजस्व रैकॉर्ड हिस्सा के अपने–अपने हिस्सा पर अपने पूर्वजों के समय से 40–50 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं; जिसमें सिंचाई ट्यूब वैल स्थापित कर अपनी रिहायशी ढ़ाणी बना रखे हैं; जिसको प्रार्थीगण अपनी राजनैतिक पंहुच व ताकत के बल पर नाजायज रूप से दवाब बनाकर हडप कर अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं; जिसका प्रार्थीगण को कोई हक–अधिकार हासिल नहीं है; इसलिए विधि के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण की बजाय अप्राथीगण के पक्ष में बखूबी साबित है; इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 5 पैरोकार राज को बार–बार अवसर प्रदान करने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया गया। पत्रवाली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया। न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>: प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रैकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है मगर मौके पर राजस्व रैकॉर्ड में अभिलिखित हिस्सा अनुसार सभी का अपना अलग–अलग कब्जा काश्त है जो हिस्सा पांती व कब्जा काश्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से पिछले 40–50 वर्षों से अलग–अलग स्वतन्त्र रूप से चला आ रहा है जबकि प्रार्थीगण वाहमी बंटवारा नहीं होना अंकित किया है जो झूठ व निराधार अंकित किया है क्योंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि का मौके पर वाहमी बंटवारा अपने पूर्वजों के समय से पिछले 40–50 वर्षों पूर्व से कर रखा है और उसी मुताबिक वर्तमान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त चला आ रहा है; जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने अपने–अपने हिस्सा में

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

सिंचाई ट्यूबवैल व रिहायशी ढ़ाणी के रूप में पक्के मकान बना रखे हैं; प्रार्थीगण अप्रार्थीगण पर नाजायज दवाब बनाकर अप्रार्थीगण की पीढ़ियों से चली आ रही कब्जा काश्त की कृषि भूमि को हड़प करना चाहते हैं; जिसका प्रार्थीगण को कोई हक–अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

सुविधा के संतुलन का सिद्धान्तः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने भी अपने–अपने हिस्सा–पांती में ट्यूबवैल व रिहायशी ढ़ाणी बना रखी है। प्रार्थीगण के काल्पनिक व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने से प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण को काफी मानसिक, आर्थिक असुविधा हुई है। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवाकर प्रार्थिगण अप्रार्थी सं. 1 व 4 के हक अधिकारों से वंचित करना चाहते है। इसलिए सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पक्ष में बखूबी साबित है।

अपूरणीय क्षति का सिद्धान्तः हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को उनकी हिस्सा भूमि से सुविधा लेने एवं काश्त करने से वंचित करना चाहते है। यदि प्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में ही कानूनन माना जाता है।

आदेश

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 01 व 02 के अनुसार अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिए उक्त तीनों शर्तें पक्षकार के पक्ष में निर्णित होना जरूरी है इसके अलावा 2013(3) डी.एन.जे.(राज) पेज नम्बर 1006 के अनुसार अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिए तीन शर्तें है जो साथ–साथ स्थित होनी चाहिए यदि इनमें से एक का भी अभाव होगा तो व्यादेश प्रदान नहीं होगा उक्त प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धात चूंकि प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने के कारण वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 366 तादादी 23.7900 हैक्टेयर बारानी द्वित्तीय व खसरा नं. 380 तादादी 4,3800 हैक्टेयर बारानी द्वित्तीय रोही मौजा लूणासर तहसील भानीपुरा बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)